संख्या-28/2020758/86-2020-7(सा0)/2019

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,
सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, लखनऊ दिनांक 19 मई, 2020

विषय- ड्रेजिंग के फलस्वरूप एकत्र हुए ड्रेज्ड मैटीरियल के निस्तारण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासन के पत्र संख्या-226/86-2019-7(सा0)/2019, दिनांक 05-02-2019 द्वारा जिलाधिकारी अयोध्या/बस्ती/बुलन्दशहर/गोण्डा/बाराबंकी/गोरखपुर/अम्बेडकरनगर को ड्रेजिंग के फलस्वरूप कार्य स्थल से निकाले गये ड्रेज्ड मैटीरियल को, जिला स्तर पर अपनी अध्यक्षता में प्रभागीय वन अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी, सिचाई विभाग से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं सम्बन्धित खान अधिकारी/खान निरीक्षक की समिति गठित कर ड्रेज्ड मैटीरियल की मात्रा एवं गुणवत्ता के अनुसार न्यून्तम आरक्षित मूल्य का निर्धारण कर, ई-टेण्डर के माध्यम से मानसून अवधि के पूर्व निस्तारित कराने निर्देश दिये गये थे।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त सभी जनपदों में ऐसे मैटीरियल के निस्तारण की सम्भावित आवश्यकता के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ड्रेजिंग के फलस्वरूप कार्य स्थल से निकाले गये ड्रेज्ड मैटीरियल को कृपया उपरोक्तानुसार अपने जनपद में समिति का गठन, मूल्य निर्धारण एवं ई-टेण्डर कराकर ड्रेज्ड मैटीरियल का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया

(डा0 रोशन जैकब)
सचिव

संख्या-758(1)/86-2020 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि को निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, सिचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in